न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 202/2026
आदेश

15.06.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त चंद्रदीप गिरी की ओर से दाखिल किया गया है, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), 127(1), 115(2), 118(1), 117(2), 109, 303(2), 352 के अधीन दर्ज नटवार थाना कांड सं0 216/2024 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री चित्तरंजन सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक देवनारायण गिरी एवं अभियुक्त पक्ष के बीच भूमि विवाद चल रहा था। उक्त विवाद के समाधान हेतु दिनांक 03.11.2024 को पंचायत आयोजित की गई थी। आरोप है कि पंचायत के दौरान अभियुक्तगण हथियारों से लैस होकर आए तथा एक राय होकर सूचक एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। विजय गिरी एवं नारायण गिरी द्वारा सूचक के सिर पर गड़ासा एवं लोहे की रॉड से प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिससे वे बेहोश हो गए। आगे आरोप है कि अन्य अभियुक्तों ने भी सूचक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के दौरान रोहित गिरी द्वारा राजकुमार गिरी के गले से सोने की चैन, चन्द्रदीप गिरी द्वारा अवध गिरी के पास रखा नगद पैसा तथा सूरज गिरी द्वारा चंचल गिरी का मोबाईल फोन छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है तथा इस वाद की घटना भूमि विवाद के पंचायत के दौरान घटित होने की बात कही जाती है। उभय पक्षों के परिवार के बीच रजिस्ट्री बंटवारा हो चुका था। विभाजन में आवेदक अभियुक्त के परिवार को प्राप्त भूमि पर सूचक पक्ष अवैध दावा कर रहे थे, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त

लगातार
15.06.2026

के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासा एवं लोहे के रॉड से लैश होकर जान मारने की नीयत से सूचक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करने का अभियोग है। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में इस वाद के जख्मी देवनारायण गिरी के सिर एवं गले पर जख्म पाया था तथा जख्मी राजकुमार गिरी के सिर पर जख्म पाया था। वाद अभी अनुसंधान के क्रम में है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि यद्यपि आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है तथापि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासा एवं लोहे के रॉड से लैश होकर जान मारने की नीयत से सूचक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करने का अभियोग है। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में इस वाद के जख्मी देवनारायण गिरी के सिर एवं गले पर जख्म पाया था तथा जख्मी राजकुमार गिरी के सिर पर जख्म पाया था। वाद अभी अनुसंधान के क्रम में है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों के आलोक में मैं आवेदक अभियुक्त को वाद के वर्तमान प्रक्रम में अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।